फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

भेरा .... बनाम .... नारायणगिरि वगैरा

किस्म मुकदमा रास्ता आवेदन मुकदमा नम्बर 70/2023

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/03/23	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री करताराम [illegible] यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/04/23 को पेश हो । Blass	
13/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थीगण के सम्मन Registered पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते डिलीवरी रिपोर्ट एवं AD के इन्तजार में आईन्दा दिनांक 21/04/23 को पेश हो।	
21/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्रीराम विश्नोई ने सहमति जाहिर कि है कि प्रार्थीगण की नेरबमन्दी की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः नेरबमन्दी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सम्पत्ति से अम हो। Blass	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1.भेरा पुत्र रूपा 2.कालूराम पुत्र पाबू 3. किशना पुत्र शेरा 4. गुमना पुत्र शेरा 5. चेना पुत्र शेरा 6. जुझाराम पुत्र पाबू 7. नरीगा पुत्र शेरा 8. भेरा पुत्र शेरा 9. श्रीरामंराम पुत्र पाबू 10. हुकमा पुत्र पाबू 11.हेमाराम पुत्र पाबू जातियान जाट निवारण हनुमानपुरा (कारटीया) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	1. नारायणसिंह पुत्र हरीसिंह 2. रूपसिंह पुत्र. राणसिंह 3.रावतसिंह पुत्र खीमसिंह 4. खेतसिंह पुत्र रूपसिंह जातियान राजपुत 5. देवकिशन पुत्र गंगाराम 6. जुगलकिशोर पुत्र गंगाराम 7. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम 8. धनराज शर्मा दतकपुत्र मोहनलाल जातियान ब्राहृमण 9. देवाराम पुत्र जुंझाराम 10. प्रहलदराम पुत्र कुम्भाराम जातियान जाट निवासीगण हनुमानपुर कारटीया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 70 / 2023 दिनांक : 21/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा हनुमानपुर के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 33.1680 हैक्ट. खसरा संख्या 20 रकबा 0.0647 के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 722-25 दिनांक 24/04/23

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी .भेरा पुत्र रूपा वगैरा
3. विप्रार्थीगण. नारायणसिंह पुत्र हरीसिंह वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / बीजराड़ / धोरीमन्ना / धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 70/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
भेरा वगैरा बनाम नारायणसिंह वगैरा
पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 21/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटीया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनडी के मौजा हनुमानपुर के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 33.1680 हैक्ट. खसरा संख्या 20 रकबा 0.0647 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटीया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनडी के मौजा हनुमानपुर के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 33.1680 हैक्ट. खसरा संख्या 20 रकबा 0.0647 स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी,सेड़वा